न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 157/2017 **दायरा दिनांक : 18.09.2017**

उनवान

1— दीनदयाल आत्मज बद्रिया, जाति मीणा, निवासी सीकन्दा, (सोकन्दा) तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— मांगीबाई पुत्री बद्रिया, पत्नी मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटा रोड़, बारां

3— द्वारकिया बाई पुत्री बद्रिया पत्नी राजेन्द्र, जाति मीणा, निवासी चैनपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— नाथी बाई पुत्री कल्याण पत्नी रामदयाल, जाति मीणा, निवासी मूंडली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 63/2013 निर्णय दिनांक 12.09.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण के शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 23 की खसरा नम्बर 221 रकबा 1.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 रकबा 1.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 1.34 हेक्टर कुल 6 किता की 5.21 हेक्टर आराजी ग्राम शोकन्दा तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है व अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा भी निहित है । अप्रार्थी के पिता कल्याण का देहान्त 2011 में हो गया था । अप्रार्थी नम्बर 1 के पिता ने अपने जीवनकाल में पुत्री का विवाह कर उसके हिस्से की चल अचल सम्पत्ति उसे दे दी थी । कल्याण के कोई पुत्र नहीं होने के कारण प्रार्थी नम्बर 1 के पास ही रहते थे और उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी पाग प्रार्थी नम्बर 1 को ही बाधी गई । उनकी आराजी में दीनदयाल ही काश्त कर रहे हैं । अप्रार्थी नम्बर 1 ने गलत रूप से आराजी अपने नाम दर्ज करवायी है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12. 09.2017 को प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मीणा जाति में लड़कियों को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलांट ही

वादग्रस्त आराजी को काश्त कर रहे हैं व कल्याण की सम्पत्ति के एक मात्र वारिस हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया गया कि कल्याण ने अपने जीवनकाल में नाथी बाई का विवाह करके उसके हिस्से की चल अचल सम्पत्ति उसे दे दी थी । कल्याण के कोई पुत्र नहीं होने के कारण वह दीन दयाल के साथ रहते थे और दीन दयाल ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था । उनकी पाग भी दीन दयाल को ही बंधी है । कल्याण की समस्त सम्पत्ति का वारिस दीन दयाल ही है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिसमें लड़कियों को कोई कानूनन अधिकार नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यू एल सी 2015 पेज 178 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के पिता की है । अपीलांट को रेस्पोडेंट के पिता ने गोद नहीं लिया था । कोई गोदनामा पेश नहीं किया गया है । वो स्वयं को गोद पुत्र सिविल न्यायालय से ही घोषित करवा सकते हैं । रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न फोटो प्रति नकल जमाबंदी के अनुसार आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा दर्ज है । अपीलांट का यह कथन है कि वो कल्याण का वारिस है परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और खातेदार कृषक के विरूद्ध बिना किसी ठोस आधार के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते हैं । जहां तक पक्षकारों के अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने का प्रश्न है यह सही है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और ऑल्ड हिन्दू लॉ से शासित होते हैं परन्तु ऑल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार भी कल्याण की मृत्यु हो जाने पर यदि उनके कोई पुरूष वारिस नहीं है और उनकी विधवा भी नहीं है तो उनकी पुत्री को ही वादग्रस्त आराजी में अधिकार प्राप्त होगे । आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें एक सहखातेदार का कब्जा सभी सहखातेदारों की ओर से माना जाता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा